सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 7/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1– भैरू पुत्र पन्नालाल जाति धोबी निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ (**मृतक**)
1/1 रामदयाल पुत्र भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/2 अमृतलाल पुत्र भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/3 प्रेमबाई पुत्री भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/4 पार्वतीबाई पुत्री भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/5 द्रोपदीबाई पुत्री भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/6 मूर्तिबाई पुत्री भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा
1/7 कजोडी बाई बेवा भैरू जाति धोबी निवासी मकान नम्बर 790 हरिओम नगर, रंगबाडी कोटा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2– श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक **(अप्रार्थी कम्र.)** 1/1 व 1/2

निर्णय दिनांक 27.06.2019

प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 भूमि किस्म वा0 iii/गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम कुण्डी की भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 भूमि दिनांक 20.11.1975 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा श्री भैरू पुत्र पन्ना जाति धोबी निवासी कुण्डी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 मे हैसियत खातेदार श्री भैरू पुत्र पन्ना जाति धोबी निवासी कुण्डी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 21.2.2013 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी फोत हो जाने के कारण उसके कायम मुकामान की सूची तलब की जाकर, उसके कायम मुकामान को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तबल किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकामान क्रम 1/1, 1/2, द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकामान क्रम , 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि प्रकरण से संबंधित आराजियात खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 हेक्टयर वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा का आवंटन विधिवत नियमानुसार अप्रार्थीगण के पिता श्री भैरूलाल जी के नाम किया गया था। जिसको अप्रार्थी/उत्तरदाता के पिता काबिज काश्त करने चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु उपरांत से उक्त आराजियात पर उत्तराधिकारी की हैसियत अप्रार्थी उत्तरदाता काबिज काश्त है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 हेक्टयर वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा एलोटमेन्ट से पूर्व किस्म नाला नही है, जो एलोटी भैरूलाल पुत्र पन्नालाल जाति धोबी निवासी कुण्डी तहसील छबडा के नाम आवंटन है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 हेक्टयर ऐलोटी के वारिसान के नाम सह खातेदारी मे दर्ज हो गयी है। जिस पर सह खातेदारान ही काबिज काश्त करते चले आ रह है। अप्रार्थीगण के पिता भैरूलाल के नाम आवंटन खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 हेक्टयर वाके माल कुण्डी तहसील छबडा को निरस्त नही किये जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम कुण्डी जिसके खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 है। जो किस्म गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने दिये है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम कुण्डी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.01 भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ